भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1114**

रविवार, 20 सितंबर, **2020/29** भाद्रपद, **1942** (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव

1114. श्री सुजीत कुमार:

डा. सस्मित पात्रा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पर्यटन क्षेत्र पर विशेषकर राजस्व, पर्यटकों की संख्या, पर्यटन कम्पनियों के बंद होने और आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में कोविड-19 के प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ इससे जुड़े आतिथ्य क्षेत्र को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क): पर्यटन क्षेत्र पर राजस्व, पर्यटक आगमन, पर्यटक कंपनियों तथा आतिथ्य क्षेत्र के बंद होने के प्रभाव के संबंध में आकलन के लिए कोई औपचारिक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है । तथापि उद्योग जगत के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा विचार-मंथन सत्र के अनेक दौर आयोजित किए जाने के बाद राजस्व, विदेशी मुद्रा तथा नौकरियों के व्यापक रूप से नुकसान का संकेत मिलता है । इस क्षेत्र के अत्यधिक असंगठित स्वरूप के मद्देनजर आंकड़ों के रूप में प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा ।

(ख): भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अनुबंध I में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदम अनुबंध II में दिए गए हैं ।

*****

अनुबंध I

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. **1114** के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा मंत्रालयों द्वारा घोषित पैकेज निम्नानुसार हैं :

- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन **31** अगस्त **2020** तक के लिए बढ़ा दिया है **I**
- सरकार ने इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है **I** इस ऋण की अवधि **4** वर्ष होगी तथा **12** माह की स्थगन अवधि होगी**I**
- सरकार ने उन संगठनों के लिए तीन महीने के लिए भविष्यनिधि योगदान में छूट दी है जिनके पास **100** से कम कामगार है तथा उनमे से **90%** कर्मचारियो के वेतन **15000** रुपए से कम है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा **12%** से घटाकर **10%** कर दिया गया है **I** यह उन सभी संस्थानों के लिए अगले **3** माह अर्थात सितंबर **2020** तक है जो ई पी एफ ओ द्वारा कवर होते हैं**I**
- अक्टूबर **2020** तक टीसीएस का स्थगन ।
- **5** करोड़ रु. तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना **3** माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए **9%** के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है **I**
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कोविड**-19** संकट के मद्देनजर आयकर अधिनियम**,** कंपनी अधिनियम तथा जी एस टी अधिनियम के अंतर्गत अलग**-**अलग अवधि के लिए विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से छूट भी दी है **I**

*****

अनुबंध II

भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव के संबंध में दिनांक 20.09.2020 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. **1114** के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

पर्यटन क्षेत्र में कोविड**-19** के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कोविड**-19** सुरक्षा तथा स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने प्रशिक्षण और दिशा निर्देशों के अनुपालन के आकलन के लिए विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं I इस कार्यक्रम का लक्ष्य आतिथ्य उद्योग विशेष रूप से छोटी तथा मझौली इकाइयों को बहाल होने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता देने के लिए क्षमता निर्माण करना है I

ii. सभी अवर्गीकृत आवास इकाइयों के समन्वयन और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए देशभर में विभिन्न आवास इकाइयों की एक सुदृढ़ सूचना प्रणाली/व्यापक डाटाबेस तैयार किया गया है I

iii. होटलो, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशें तैयार की गई है और व्यवसाय की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए **8** जून, **2020** को जारी की गई है I

iv. ऐसे होटलों तथा अन्य आवास इकाइयों जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनःअनुमोदन तथा वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है उनकी अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता अवधि को **30** सितंबर **2020** तक के लिए बढ़ा दिया गया है I

v. मंत्रालय ने क्यू सीआई के सहयोग से होटलों, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड**-19** तथा उसके पश्चात की स्थिति में जारी दिशा निर्देशों/ एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल की है I

*****